

	<p>परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय) ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY (An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India) केन्द्रीय कार्यालय, वेस्टर्न सेक्टर, पञ्जके.वि.-6, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094 Central Office, Western Sector, AECS-6, Anushaktinagar, Mumbai-400094 दूरभाष / Telephone : 2556 5049 / 2557 1501 / 2550 3310 वेबसाइट / website : aeec.gov.in ईमेल आय .डी ./email id : pers-conf@aeec.gov.in</p>	 <p>NEW INDIA - 75 आजादी का अमृत महोत्सव</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AEES/R&V/Sr.Sc/2024/ C-1373

December 03, 2024

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग पत्रांक एफ.5-180/86-यूटी-I दिनांक 12.8.87) के प्रावधानों के अनुपालन और परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था द्वारा यथाअंगिकृत एवं कार्यान्वित प्रावधानों के अनुसार तथा विभागीय स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों के आधार पर प.ऊ.शि.सं के निम्नलिखित अध्यापकों, जिन्होंने संबंधित पदक्रम में 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की है तथा वरिष्ठ वेतनमान पर नियुक्त के लिए प.ऊ.शि.सं. द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा किया है, को उनके नाम के सामने उल्लेखित तिथि से **वरिष्ठ वेतनमान (सीनियर स्केल)** के लिए सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकृत प्रदान कर दी है।

In accordance with the provisions of Ministry of Human Resource Development (Department of Education letter No. F.5-180/86-UT-I dated 12.8.87) and as adopted and implemented by the Atomic Energy Education Society, and on the basis of the recommendations of the Departmental Screening Committee, the competent authority has granted **Senior Scale** from the date mentioned against the following teachers of AEES who have completed 12 years of regular service in the respective grade and have fulfilled all other conditions stipulated by AEES for appointment to the **Senior Scale**.

क.सं. Sr. No.	क.प.सं. EMPID No.	कर्मचारी का नाम Name of the Employee	वर्तमान पदनाम Present Designation	प.ऊ.के.वि. AEC School	नियुक्त किए गए वेतन मैट्रिक्स में स्तर Level in Pay Matrix to which appointed	वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त की तिथि Date from which appointed to Senior Scale
उप-प्रधानाचार्य/Vice-Principal						
1	2515	Smt. Urmila Lal	Vice-Principal	AECS-1, Tarapur	Level 11	Fit w.e.f. 02/04/2024
प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक/अध्यापिका /Trained Graduate Teachers						
1	2869	Shri Saroj Kumar Dalai	TGT (Bio/Chem)	AECS, Turamdih	Level 8	Fit w.e.f. 05/08/2023
2	2685	Smt. S Anitha	TGT (Maths/Phy)	AECS-1, Kalpakkam	Level 8	Fit w.e.f. 26/08/2023
3	3086	Smt. N Sasirekha	TGT (Comp. Sc.)	AECS-1, Kalpakkam	Level 8	Fit w.e.f. 16/09/2023
प्राथमिक अध्यापिका /Primary Teacher						
1	3088	Smt. Sukhdeep B Pant	PRT	AECS-2, Rawatbhata	Level 7	Fit w.e.f. 24/11/2023
2	3089	Smt. Nabanita Mukherjee	PRT	AECS-1, Tarapur	Level 7	Fit w.e.f. 12/04/2024

3/12/24

वरिष्ठमान में नियुक्ति पर उपरोक्त अध्यापक/ अध्यापिकाओं का वेतन एफआर-22 (I) (ए) (2) के प्रावधानों के तहत नियत होगा। अध्यापक/ अध्यापिकाओं को वरिष्ठमान में वेतन के नियतन हेतु सीधे वरिष्ठमान में उनकी नियुक्ति की तारीख या मूल श्रेणी (बेसिक स्केल) में वेतनवृद्धि की तारीख से प्रभावी विकल्प में से किसी एक का चयन (यहाँ संलग्न किए गये निर्धारित फार्म की दो प्रतियों में) करना होगा। यह विकल्प सभी अध्यापक/ अध्यापिकाओं को इस ज्ञापन प्राप्ति की तिथि से एक माह के अंदर देना होगा।


On appointment to the Senior Scale, the pay of the aforesaid teachers shall be fixed under the provisions of FR-22(I) (a)(2). They have to exercise an option (in the prescribed form enclosed in duplicate) for fixation of pay in the Senior Scale either straightaway from the date of their appointment to the Senior Scale or with effect from the date of their increment in the basic scale. They should exercise their option within a period of one month from the date of receipt of this memorandum.

वेतन-नियतन पर शिक्षकों को यह वचनपत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है कि वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किए जाने पर वेतन बकाया किसी भी लेखापरीक्षण आपत्ति आदि के तहत होगा और यदि यह पाया जाता है कि यह उनके मामले में लागू नहीं है तो उच्चतर वेतनमान में अधिक वेतन और भत्तों के रूप में उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि उन्हें एकमुश्त वापस करनी होगी।

On fixation of pay, the teachers are advised to submit an undertaking to the effect that arrears of pay on account of granting Senior Scale is subject to any audit objection etc. and she/he will refund the amount drawn by her/him as excess pay and allowances by virtue of higher pay scale in lump sum, in case it is found that the same is not applicable in her/his case.

अनुलग्नक/Encl.:

1. विकल्प फॉर्म/Option form
2. वचनपत्र फॉर्म/Undertaking Form


(शोभना डी पनीकर/Shobhana D Panickar)
प्रशासनिक अधिकारी- III/Admn. Officer-III

संबंधित कार्मिक (प.ऊ.के.वि./क. महाविद्यालयों के संबंधित प्रमुख के माध्यम से)
Individual Concerned (Through : Respective Heads of AECS/JC)

प्रति-

- 1 अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंध समिति, प.ऊ.शि.सं./ Chairmen, LMC, AECSs
- 2 प्राचार्य एवं प्रमुख शैक्षणिक इकाई, अनुरोध है कि उपरोक्त कर्मचारियों का डाटाबेस अद्यतन करें।
प.ऊ.शि.सं., मुंबई with a request to update the employee data base.
Principal and Head,
Academic Unit, Central
Office, AEES, Mumbai
- 3 सभी विद्यालयों के प्रमुख, कृपया कार्यालय ज्ञापन की प्रति विकल्प प्रपत्र तथा वचनपत्र के साथ
प्रत्येक संबंधित कर्मचारी को दें और उनकी दिनांकित पावती प्राप्त करें।
प.ऊ.के.वि./ प.ऊ.क.म.वि प्रत्येक कर्मचारी से एक महीने के अंदर प्राप्त विधिवत भरे वचनपत्र एवं
विकल्प प्रपत्र वेतन स्थरीकरण विवरण के साथ इस कार्यालय में अविलंब
प्रेषित करें।
Concerned Heads of School,
AECS/JC:
Kindly supply a copy of this OM along with option form and
undertaking to each individual concerned and obtain their dated
acknowledgement. The duly filled in option form and
undertaking obtained from each individual within period of one
month be forwarded to this office expeditiously along with their
pay fixation statement.
- 4 वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प.ऊ.शि.सं./ Sr. Accounts Officer, AEES
- 5 स.प्र.अ. (स्था. एवं कानूनी) /भर्ती एवं सतकर्ता, प.ऊ.शि.सं./ AAO(E & L)/ (R&V), AEES
- 6 स.प्र.अ. (वे.) / (पेंशन) / बिल) / (भविष्य निधि), प.ऊ.शि.सं./ AAO(S)/(Pension)/ (Bill)/(PF), AEES
- 7 वैयक्तिक फाइल, प.ऊ.शि.सं./ प.ऊ.के.वि./ Personal file, AEES/AECS
- 8 संबंधित प.ऊ.के.वि. की पे बिल इकाई/ Pay Bill Unit of Concerned AECS/JC
- 9 वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट डोसिएर/ APAR Dossiers

2/10/2024
03/10/2024